



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032021-226257
CG-DL-E-30032021-226257

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1308]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943

No. 1308]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

का.आ. 1413(अ).—केन्द्र सरकार, लोकहित में पेट्रोलियम के आयात की आवश्यकता को ध्यान में रख कर पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 16(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 30 मई, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 2187(अ) के क्रम में एतद्वारा, गुजरात में मगदल्ला (सूरत) पत्तन को दिनांक 01.06.2021 से 31.05.2024 तक की अवधि के लिए समुद्र के रास्ते भारत में पेट्रोलियम का आयात करने हेतु अधिसूचित करती है।

[फा. सं. पीडी-25018/1/2018-पीडी-VII]

अरविंद चौधरी, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

S.O. 1413(E).—In exercise of the powers conferred under Rule 16(1) of the Petroleum Rules, 2002, and in continuation of the notification of Government of India, Ministry of Shipping No. S.O. 2187(E) dated 30th May, 2018 the Central Government, in consideration of the necessity to import petroleum in public interest, hereby notifies Magdalla (Surat) Port in Gujarat for importing petroleum into India by Sea for a period from 1.06.2021 to 31.05.2024.

[F. No. PD-25018/1/2018-PD-VII]

ARVIND CHAUDHARY, Economic Adviser

1937 GI/2021